०५/३/२०५ पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रकरण रिकॉर्ड दुरूस्ती का है, जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम पुरा छोटी तहसील धोद के खसरा सं. 632 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, खसरा सं. 633 रकबा 0.2300 हेक्टेयर, खसरा सं. 634 रकबा 0.7000 हेक्टेयर, खसरा सं. 635 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, खसरा सं. 636 रकबा 2.0800 हेक्टेयर, खसरा सं. 641 रकबा 1.7000 हेक्टेयर, खसरा सं. 642 रकबा 1.3700 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 6.1900 हेक्टेयर में राजस्व रिकॉर्ड में नाबालिग सचिन पुत्र लादुराम सरंक्षक सरपरस्त पिता मुकनाराम अंकित है। जबकि प्रार्थी सचिन वर्तमान में बालिग हो चुका है। प्रार्थी की 10वीं अंकतालिका, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी वर्तमान में बालिग हो चुका है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी नाबालिग संरक्षक सरपरस्त आदि प्रविष्ठि को हटाकर दुरूस्त किया जावें।

तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट मय पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "प्रार्थी बालिग हो चुका है, अतः जमाबंदी से नाबालिग शब्द हटाया जाना उचित होगा तथा सचिन पुत्र लादूराम हि. 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज किया जाना उचित होगा।" अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पुरा छोटी तहसील धोद के खसरा सं. 632 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, खसरा सं. 633 रकबा 0.2300 हेक्टेयर, खसरा सं. 634 रकबा 0.7000 हेक्टेयर, खसरा सं. 635 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, खसरा सं. 636 रकबा 2.0800 हेक्टेयर, खसरा सं. 641 रकबा 1.7000 हेक्टेयर, खसरा सं. 642 रकबा 1.3700 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 6.1900 हेक्टेयर में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज प्रविष्ठि **नाबालिग सचिन पुत्र लादुराम सरंक्षक सरपरस्त पिता मुकनाराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार** के स्थान पर **सचिन पुत्र लादुराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार** दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिख जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.26 15:27:47 IST
Reason: SelfAttested